



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239249  
CG-DL-E-30092022-239249

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4433]  
No. 4433]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सं. 86/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 4641(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करतदा है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में बंगलादेश से संबंधित क्रम सं. 2 के समक्ष, फुलबाड़ी से संबंधित कॉलम (3) के क्रम सं. 13 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)

(2)

(3)

(4)

“(क) भारत में फुलबाड़ी और बांग्लादेश में बंगला बंधु को जोड़ने वाली सड़क।

(ख) भारत में एनआरएल सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ने

वाली मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की  
पाइपलाइन।"

[फा. सं. 550/08/2021-एलसी]

बुलो मामु, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.) को का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 30/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), जिसे का.आ. 1240(अ), दिनांक 17 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

**No. 86/2022- Customs (N.T.)**

**S.O. 4641(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.) dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely: -

In the said notification, in the TABLE, against serial number 2 relating to Bangladesh, against item (13) in column (3) relating to Phulbari, for the entry in column (4), the following entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			"(a) Road connecting Phulbari in India and Bangla Bandhu in Bangladesh. (b) The pipeline of M/s Numaligarh Refinery Ltd. connecting NRL Siliguri Marketing Terminal in India to Parbatipur in Bangladesh."

[F. No. 550/08/2021-LC]

BULLO MAMU, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.63/1994-Customs(N.T.) was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 830(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and was last amended, *vide* notification No.30/2021-Customs(N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1240 (E), dated the 17<sup>th</sup> March, 2021.